न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 04 / 2018

अनवान : –

1. पचीसिया माता भवानी मन्दिर जरिये ट्रस्टी शरद कुमार पुत्र गिरीश चंद पचीसिया जाति पचीसिया महेश्वरी साकिन वार्ड स0 14 कस्बा नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. भादरराम पुत्र नत्थुराम जाति स्वामी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. लक्ष्मणदास पुत्र भादरराम जाति स्वामी निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– गैरसायालान

अवमानना याचिका अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 2(क) सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 30/04/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36 / 39 के कुल 12.6500 हैक्ट भूमि का एक वाद स0 118 अनवानी पचीसिया माता भवान मंदिर बनाम भादरराम इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा व खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत न्यायालय हाज में पेश किया गया एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36 / 39 के कुल 12.6500 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स0 1 ने अपने बंटवारा में अपनी भूमि में से 2 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 04.06.1994 को पचिसिया माता भवानी मंदिर के नाम से बैय कर दी तथा अप्रार्थी भादरराम ने अपने भाई बंटवारा के हिसाब से संयुक्त खातेदारान की सहमति से 0.506 हैक्ट भूमि बैय कर दी जो संयुक्त खातेदारान की सहमति से गैरसायल स0 1 ने सायल प्रार्थी को बैय की वर वक्त से भूमि सायल के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में अप्रार्थी स0 1 व उसके भाई का कोई हक हिस्सा नही है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36 / 39 के प0न0 297 / 427 (14) के किला न0 1 / 0.253, 2 / 0.253 कुल 0.506 हैक्ट भूमि में आगामी तारीख पेशी तक गैरसायलान, सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे एवं कृषि कार्य करने से नही रोकें। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.06.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए फसल [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा मन्दिर की भूमि पर फसल काश्त की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय [illegible] की अवहेलना अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थीगण की अवमानना [illegible] दोषी मानकर सम्पत्ति कुर्क कर अप्रार्थीगण को सिविल कारावास भेजा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:00:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36/39 के कुल 12.6500 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स0 1 ने अपने बंटवारा में अपनी भूमि में से 2 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 04.06.1994 को पचिसिया माता भवानी मंदिर के नाम से बैय कर दी तथा अप्रार्थी भादरराम ने अपने भाई बंटवारा के हिसाब से संयुक्त खातेदारान की सहमति से 0.506 हैक्ट भूमि बैय कर दी जो संयुक्त खातेदारान की सहमति से गैरसायल स0 1 ने सायल प्रार्थी को बैय की वर वक्त से भूमि सायल के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में अप्रार्थी स0 1 व उसके भाई का कोई हक हिस्सा नही है। रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36/39 के कुल 12.6500 हैक्ट भूमि का एक वाद स0 118 अनवानी पचीसिया माता भवान मंदिर बनाम भादरराम इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा व खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत न्यायालय हाज में पेश किया गया एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 36/39 के प0न0 297/427 (14) के किला न0 1/0.253, 2/0.253 कुल 0.506 हैक्ट भूमि में आगामी तारीख पेशी तक गैरसायलान, सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे एवं कृषि कार्य करने से नही रोकें। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.06.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए फसल काश्त कर दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा मन्दिर की भूमि पर फसल काश्त की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय की आदेशो की अवहेलना अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अवमानना करने का दोषी मानकर सम्पति कुर्क कर अप्रार्थीगण को सिविल कारावास भेजा जावे।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नेाहर के खाता स0 36/39 के प0न0 297/427 (14) के किला न0 1/0.253, 2/0.253 कुल 0.506 हैक्ट भूमि में आगामी तारीख पेशी तक गैरसायलान, सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे एवं कृषि कार्य करने से नही रोकें। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पर फसल काश्त की गई। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 30.06.2018 के मुताबिक भादरराम व लक्ष्मणदास को उक्त रकबा में मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया गया था। न्यायायल द्वारा उक्त स्थगन दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया है प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 29.06.2018 को अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त की गई है जबकि अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश जारी होने के बाद जरिये रजि0 नोटिस सूचित कर दिया गया था। न्यायायल द्वारा स्थगन दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया है एवं अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.06.2018 को स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है उक्त विवेनानुसार स्पष्ट नही है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश का दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:00:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिवस में नोटिस प्राप्त हुआ है या नही एवं दिनांक 30.06.2018 को पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। दिनांक 30.06.2018 के बाद अप्रार्थीगण द्वारा पुन आदेश की अवहेलना की गई है के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने/स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:00:57 IST
Reason: SelfAttested